

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के लान से हो किया जावे त
कि किसी अन्य पदाधिकारी के बाये में
सम्बन्धित विषय पर यादे पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे गिरावे संविधा हो।



ग्राम : गृजीपर्दी
दूरभाष : (0731) 232 826
 (0731) 232 827
फैक्ट्र : (0731) 232 828

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2014/1310

दिनांक: 13-11-2014

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध HICT COLLEGE OF EDUCATION, GWALIOR को सत्र 2014-15 के लिये
प्रस्तावित/संचालित M.E.D. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थावी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारे प्रदान करने के लिये
माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारीम् 1973 के परिनियम
27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. PROF. MAHENDRA GUPTA, SOS BOTANY, JIWALI UNIVERSITY, GWALIOR
2. PROF. VIVEK BAPAT, SOS IN ADULT EDUCATION, JIWALI UNIVERSITY, GWALIOR
3. PROF. RAJIV JAIN, SOS IN CHEMISTRY, JIWALI UNIVERSITY, GWALIOR

(संयोजक)

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रबन्ध
निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांचित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र,
भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा
प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारे अंकित
करें।

निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 03 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालयमें निरीक्षण
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक
है। निरीक्षण समिति के सदस्यों को 1000/- प्रति सदस्य मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

21/11/13
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर निर्देश है कि समिति के संयोजक द्वारा दी गयी निर्धारित तिथि पर
महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

S Chaudhary
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)